न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेरड़ा

बनाम

अप्रार्थी- रुघनाथराम/रतनाराम जाट निवासी कालेरड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू राज अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 66 / 2018 निर्णय दिनांक 16.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेरड़ा ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कालेरड़ा के खसरा नम्बर 99 में किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि में बाजरी लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी रुघनाथराम से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री ने दिनांक 1 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षण मूल द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी के अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कालेरड़ा खसरा नम्बर 99 में किस्म गै.मु.रास्ता मेंसे रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल कराने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रूपये प्रति हेक्ट की दर से अतिक्रमित रकबा 0.02 हेक्ट.भूमि के 0.12 रूपये लगान का 50 गुणा 06/- अक्षरे एक रूपये बतौर जुर्माना निर्धारित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि वसूली व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर